रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22032023-244560
CG-DL-E-22032023-244560

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 167]	नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 22, 2023/चैत्र 1, 1945
No. 167]	NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 22, 2023/CHAITRA 1, 1945

वित्त मंत्रालय
(वित्तीय सेवाएं विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2023

सा. का. नि. 209(अ).—केंद्रीय सरकार, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 5 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 51 की उप-धारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों को देय वेतन तथा भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें एवं निबंधन) नियमावली, 2014 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, नामत: -

1. (1) इन नियमों को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों को देय वेतन तथा भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें एवं निबंधन) नियमावली, 2023 कहा जाएगा।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों को देय वेतन तथा भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें एवं निबंधन) नियमावली, 2014 के नियम 3 के,

(i) उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत: -

"(1) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष और इसके प्रत्येक पूर्णकालिक सदस्यों की नियुक्ति वित्तीय क्षेत्र विनियामकीय नियुक्ति सर्च समिति की अनुशंसा पर केन्द्र सरकार द्वारा की जाएगी।"

(ii) उप-नियम (2) में "चयन समिति" शब्दों को "वित्तीय क्षेत्र विनियामकीय नियुक्ति सर्च समिति" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. 11/5/2014-पीआर]

पंकज शर्मा, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मूल नियम को भारत के राजपत्र, असाधारण, में 20 अगस्त, 2014 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.597(अ) के द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात 2 अगस्त, 2017 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.987(अ), 2 जनवरी, 2018 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.07(अ) और 11 अक्तूबर, 2021 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.731(अ) के द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd March, 2023

G.S.R. 209(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 51, read with sub-section (3) of section 5 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Salary and Allowances Payable to, and Other Terms and Conditions of Service of, Chairperson and Whole-time Members) Amendment Rules, 2014, namely:-

1. (1) These rules may be called the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Salary and Allowances Payable to, and Other Terms and Conditions of Service of, Chairperson and Whole-time Members) Amendment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Salary and Allowances Payable to, and Other Terms and Conditions of Service of, Chairperson and Whole-time Members) Rules, 2014, in rule 3,

(i) for sub rule (1), the following sub rule shall be substituted namely: -

"(1) The chairperson of the Pension Fund Regulatory and Development Authority and every whole-time member thereof shall be appointed by the Central Government on the recommendation of the Financial Sector Regulatory Appointment Search Committee.",

(ii) in sub rule (2), for the words "Selection Committee", the words "Financial Sector Regulatory Appointment Search Committee" shall be substituted.

[F. No. 11/5/2014-PR]

PANKAJ SHARMA, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification number G.S.R. 597 (E) dated 20th August, 2014, subsequently amended vide notification numbers G.S.R. 987 (E) dated 2nd August, 2017, G.S.R. 07 (E) dated 2nd January, 2018 and G.S.R. 731 (E) dated 11th October, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA